Attchement-1.5

विस्तृत आख्या

परियोजना विवरण :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत जिला योजना में स्वीकृत टवामोड़ से कोट अमोडी तक मोटर मार्ग लम्बाई–1.000कि0मी0 का नव निर्माण।

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति जिला योजना 2015–16में जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रॉक–824 / जि0यो0 / 2015–16 दिनांक 17–10–2015 द्वारा 1.00 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 40.00 लाख हेतु प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त 1.000 किमी0 लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :–

(a) प्राइवेट भूमि (Private Land) - 350m x 7m = 2450 Sqmt = 0.245 Hectare

(b) आरक्षित वनभूमि (Reserve Forest Land) - 000.00m x 7m = 0.00 Sqmt = 0.00 Hectare

(c) सिविल भूमि (Civil Land) - 650m x 7m = 4550Sqmt = (0.455+0.110मलवा) = 0.565Hectare

(d) वनपंचायत भूमि (Van Panchayat Land) - 000m x 7m = 0000 Sqmt = 0.000 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :–

(0.455+0.110) = 0-565 Hectare

विदित हो कि कोट अमोडी ग्राम की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है, तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 33 पेड़ विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है, जिसमें मुख्यतः साल,कुकाट,जामुन,हल्दू इत्यादि हैं। इन 33 पेड़ों में से 10–20 व्यास के 4 वृक्ष, 20–30 व्यास के 11 वृक्ष, 30–40 व्यास के 14 पेड़, 40–50 के व्यास के 3 पेड़, 60–70 व्यास के 1 पेड़ आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से कोट अमोडी (आबादी–950) लाभान्वित हो रहे है। इस प्रकार कुल ~~950~~ 760 आबादी लाभान्वित हो रही है। यह मार्ग विकास खण्ड, चम्पावत जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि एवं सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में कोट अमोडी एवं अन्य तोकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने हेतु लगभग 1.00 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फलसों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का समाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने के साथ–साथ गॉव से नवयुवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित0.565 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो।

क्रमश:–2 पर

(2)

इस प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ो का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा **(Straight Reaches)** में 6.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 0.565 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

J.E

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत